कृषि विभाग, बिहार सरकार

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इनपुट अनुदान लिए आवश्यक निर्देश एवं जानकारी

ऑनलाइन पंजीकरण की विधि:

1. वैसे किसान जिनका मोबाइल संख्या आधार से जुड़ा हो वे घर बैठे पंजीकरण एवं आवेदन कर सकते हैं अथवा किसान अपने नजदीकी CSC/SAHAJ (कॉमन सर्विस केंद्र/ वसुधा केंद्र) से ऑनलाइन पंजीकरण के साथ साथ अनुदान आवेदन के लिए संपर्क कर सकते हैं।
2. पंजीकरण अथवा आवेदन के लिए किसान के पास वैध आधार संख्या और बैंक अकाउंट संख्या अनिवार्य है। पंजीकरण के समय किसान को अपना मूल आधार कार्ड और बैंक पासबुक और जमीन विवरण (खाता, खेसरा, रकवा) लाना अनिवार्य होगा।
3. CSC/SAHAJ केंद्र के ऑपरेटर www.dbtagriculture.bihar.gov.in टाइप कर वैबसाइट पर उपलब्ध **"नया पंजीकरण"** मेनू पर क्लिक करेंगे।
4. आवेदक से आधार संख्या उपलब्धता की जानकारी हाँ/नहीं में ली जाएगी। आधार संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वैबसाइट, आवेदक को उनके नजदीकी आधार पंजीकरण केंद्र की जानकारी उपलब्ध कराएगी। आधार संख्या उपलब्धता की स्थिति में आवेदक के आधार संख्या एवं अन्य जानकारी का सत्यापन Biometric Authentication द्वारा किया जाएगा।
5. सत्यापन सही पाये जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा दी गयी अन्य अनिवार्य जानकारियों को CSC/SAHAJ के ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन भरा जाएगा। सत्यापन गलत पाये जाने की स्थिति में आवेदक अपने नजदीकी आधार केंद्र से संपर्क करेंगे। CSC/SAHAJ के ऑपरेटर द्वारा पंजीकरण की स्थिति में VLE code अंकित करना अनिवार्य होगा।
6. CSC/SAHAJ के ऑपरेटर, आधार कार्ड में अंकित जानकारी के अनुसार ही आवेदन में किसान का नाम और किसान के पिता/पति का नाम भरेंगे।
7. पंजीकरण आवेदन में पूछे गए जानकारियों को SUBMIT करने के बाद ऑपरेटर "REGISTER" बटन पर क्लिक करेंगे।
8. किसान द्वारा दिये गए मोबाइल नंबर पर OTP संदेश (One Time Password) भेजा जाएगा जिसे आवेदन में भरना अनिवार्य होगा। सही सही जानकारी दिये जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा दिये गए मोबाइल नंबर पर "Registration Success" का SMS alert एवं साथ ही साथ पंजीकरण पावती भी दी जाएगी। SMS alert/पंजीकरण पावती में अंकित 13 अंकों का पंजीकरण संख्या आवेदक द्वारा सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
9. पंजीकरण पावती को प्रिन्ट कर आवेदक को उपलब्ध करना ऑपरेटर के लिए अनिवार्य होगा।

10. प्राप्त किए गए 13 अंको की पंजीकरण संख्या से ही किसान इनपुट अथवा अन्य अनुदान योजनाओं के लिए भविष्य में आवेदन कर सकेंगे।

इनपुट अनुदान योजना: यह योजना अभी पायलट स्तर पर राज्य के चार ज़िलों में (पटना, वैशाली, नालंदा और समस्तीपुर) चलाया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से किसानों को सब्जी की जैविक खेती के लिए (अधिकतम 6000 रुपया प्रति 30 डिसमिल), e-Cash के माध्यम से अग्रिम अनुदान दिया जा रहा है।

ऑनलाइन आवेदन की विधि:

1. इनपुट अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या अनिवार्य है।
2. किसान अपने नजदीकी CSC/SAHAJ (कॉमन सर्विस केंद्र/ वसुधा केंद्र) से ऑनलाइन अनुदान आवेदन के लिए संपर्क कर सकते हैं या फिर घर बैठे अपने मोबाइल/ लैपटाप से अनुदान आवेदन भी भर सकते हैं।
3. आवेदक/किसान इंटरनेट ब्राउज़र पर यूआरएल www.dbtagriculture.bihar.gov.in टाइप कर वैबसाइट पर उपलब्ध **"अनुदान के लिए आवेदन"** मेनू पर क्लिक करेंगे और अनुदान के प्रकार यानि **"इनपुट अनुदान"** का चयन करेंगे।
4. अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ साथ आवेदन प्रपत्र " Display" किया जाएगा।
5. पंजीकरण विवरणी में कोई त्रुटि पाये जाने की स्थिति में आवेदक www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध "विवरण संपादित" मेनू पर क्लिक कर पंजीकरण विवरण संपादित कर पायेंगे। विवरण संपादित करने का मौका आवेदक को सिर्फ एक बार ही दिया जाएगा।
6. 13 अंकों की पंजीकरण संख्या के माध्यम से आवेदक ऑनलाइन अनुदान आवेदन में माँगे गए आवश्यक विवरण अंकित कर सकेंगे।
7. जमीन का विवरण आवेदक/किसान डिसमिल में अंकित करेंगे। (1 एकर = 100 डिसमिल) ध्यान रहे कि अधिकतम 30 डिसमिल के लिए योजना लागू है।
8. आवेदक द्वारा विवरण संपादित/अंकित करने के उपरांत आवेदक "SUBMIT" बटन पर क्लिक करेंगे। तत्पस्चात आवेदक को आवेदन संख्या एवं अन्य जानकारी SMS के माध्यम पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। साथ ही साथ इसकी सूचना SMS के माध्यम से आवेदक के पंचायत के अनुसार उसी पंचायत के "Agriculture Coordinator" को सत्यापन के लिए भी दी जाएगी।
9. आवेदक www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध **"आवेदन प्रिन्ट करें"** का चयन कर जमा किए गए आवेदन की पावती, पंजीकरण संख्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

10. किसान को आवेदन का अनुमोदन पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS माध्यम से किया जाएगा।

पंचायत स्तर पर आवेदन सत्यापन की विधि:

1. पंचायत स्तर पर कार्यरत सभी " Agriculture Coordinator" को USER ID और PASSWORD दिया जाएगा जिसके माध्यम से Coordinator www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन करेंगे।
2. दिये गए Password को 48 घंटे के अंदर बदलना अनिवार्य होगा। Password का बदलाव OTP के माध्यम से किया जाएगा।
3. Coordinator के लॉगिन अकाउंट मे उनके पंचायत के किसान द्वारा जमा किए गए आवेदन Display किए जायेंगे जो Coordinator द्वारा सत्यापित किया जाएगा। आवेदन का सत्यापन कृषि विभाग द्वारा समय समय पर दिये गए आवश्यक निर्देश के अनुरूप किया जाएगा।
4. आवेदन के सत्यापन के लिए Coordinator को 72 घंटे का समय दिया जाएगा अन्यथा इसकी सूचना DAO को SMS के माध्यम से की जाएगी। आवेदन जमा के समय से 72 घंटे पश्चात Coordinator सत्यापन के लिए जमा किए गए आवेदन पर कोई भी कार्यवाई नहीं कर सकेंगे एवं वैसे आवेदनों को DAO स्तर से सत्यापित/अनुशंसित किया जाएगा।
5. Coordinator द्वारा सत्यापन मे गड़बड़ी पाये जाने की स्थिति में आवेदक भविष्य में DAO स्तर पर अपील कर सकेंगे।
6. आवेदक एवं आवेदन में दिये गए जानकारी सही पाये जाने की स्थिति में Coordinator आवेदन को आवश्यक टिप्पणी के साथ DAO स्तर पर "SUBMIT" बटन क्लिक कर अनुशंसित करेंगे जिसकी सूचना आवेदक और DAO को SMS के माध्यम से की जाएगी।
7. आवेदन मे त्रुटि पाये जाने की स्थिति में "Coordinator" आवश्यक टिप्पणी के साथ आवेदन रद्द करेंगे जिसकी सूचना आवेदक को SMS के माध्यम से की जाएगी और इसकी जानकारी DAO को ऑनलाइन दी जाएगी। आवेदन रद्द होने की स्थिति में आवेदक को या तो फिर से सही आवेदन देना होगा अथवा वैसे आवेदनों की समीक्षा अपील के माध्यम से की जाएगी।

ज़िला स्तर पर आवेदन सत्यापन/अनुशंसा की विधि:

1. ज़िला स्तर पर कार्यरत सभी "DAO" को USER ID और PASSWORD दिया जाएगा जिसके माध्यम से DAO www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर लॉगिन कर Coordinator द्वारा सत्यापित ऑनलाइन आवेदन को अनुशंसित करेंगे।
2. दिये गए Password को 48 घंटे के अंदर बदलना अनिवार्य होगा। Password का बदलाव OTP के माध्यम से किया जाएगा।
3. DAO के लॉगिन अकाउंट मे उनके पंचायत के Coordinator द्वारा सत्यापित/रद्द किए गए आवेदन Display किए जायेंगे। सत्यापित आवेदन DAO द्वारा अनुशंसित किया जाएगा। साथ ही साथ आवेदन का अनुशंसा कृषि विभाग द्वारा समय समय पर दिये गए आवश्यक निर्देश के अनुरूप किया जाएगा।

4. आवेदन के सत्यापन के लिए DAO को 24 घंटे का समय दिया जाएगा अन्यथा इसकी सूचना State/कृषि विभाग को SMS के माध्यम से की जाएगी। आवेदन जमा के समय से 24 घंटे पश्चात DAO अनुशंसा के लिए जमा किए गए आवेदन पर कोई भी कार्यवाई नहीं कर सकेंगे एवं वैसे आवेदनों का Pending List कृषि विभाग को ऑनलाइन सूचित किया जाएगा।
5. DAO स्तर पर अनुशंसा में गड़बड़ी पाये जाने की स्थिति में आवेदक भविष्य में राज्य /कृषि विभाग स्तर पर अपील कर सकेंगे।
6. आवेदक एवं आवेदन में दिये गए जानकारी सही पाये जाने की स्थिति में DAO आवेदन को आवश्यक टिप्पणी के साथ “SUBMIT” बटन क्लिक कर अनुशंसित करेंगे जिसकी सूचना आवेदक और Coordinator को SMS के माध्यम से की जाएगी और अनुशंसित आवेदन का सूची State/कृषि विभाग स्तर पर ऑनलाइन भेजी जाएगी।
7. DAO स्तर पर अनुशंसा के समय e-Sign की सुविधा भविष्य में दी जाएगी जो सत्यापित आवेदनों को अनुशंसित करने के लिए अनिवार्य होगा।
8. सत्यापित आवेदन मे त्रुटि पाये जाने की स्थिति में “DAO” आवश्यक टिप्पणी के साथ आवेदन रद्द करेंगे जिसकी सूचना आवेदक को SMS के माध्यम से की जाएगी और इसकी जानकारी Coordinator को ऑनलाइन दी जाएगी। आवेदन रद्द होने की स्थिति में आवेदक को या तो फिर से सही आवेदन देना होगा अथवा वैसे आवेदनों की समीक्छा अपील के माध्यम से की जाएगी।

इनपुट अनुदान प्राप्ति की विधि:

- DAO स्तर पर अनुशंसा के उपरांत आवेदक को e-Cash राशि एवं अन्य जानकारी आवेदक के पंजीकृत मोबाइल संख्या पर भेजी जाएगी।
- DAO स्तर पर अनुशंसा के उपरांत आवेदक अपना पंजीकरण पावती, आधार संख्या और पंजीकृत मोबाइल/मोबाइल नंबर के साथ अपने प्रखंड/पंचायत स्तर पर उपलब्ध पंजीकृत विक्रेता से अनुदान का लाभ ले सकते हैं।
- अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदक को विक्रेता स्तर पर पावती और पंजीकृत मोबाइल ले जाना अनिवार्य होगा।
- अनुदान प्राप्ति के लिए विक्रेता द्वारा आवेदक के मोबाइल संख्या पर OTP दिया जाएगा जिसके माध्यम से आवेदक विक्रेता से आवश्यक कृषि इनपुट, e-Cash में कुल राशि और उसकी वैद्यता के अनुरूप बिना नकद दिये खरीद सकते हैं।

नोट: पुस्तिका में समय समय पर बदलाव जरूरत के अनुसार किया जाएगा।